

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा/कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद महोबा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ०नि० रमाकान्त शुक्ल द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त रमेश उर्फ करिया पुत्र रामचरन रैदास उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 218/2023 धारा 3/25 ए आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रमाकान्त शुक्ल
2. हे०का० रनवीर सिंह तोमर 3. कां० नरेन्द्र बाबू

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास:-

रमेश उर्फ करिया पुत्र रामचरन रैदास उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा

1. मु०अ०सं० 210/22 धारा 254/457/506 भादवि थाना कबरई
2. मु०अ०सं० 218/23 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कबरई

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने चोरी के वांछित अभियुक्त को चोरी गयी सम्पत्ति तथा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री लाखन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ द्वारा गठित की गयी उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह प्रशिक्षु उ0नि0 विकास तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 249/2023 धारा 457/380 भादवि (01 राशि बकरा चोरी किये जाने) से सम्बन्धित चोरी का 01 नफर वांछित अभियुक्त अली हसन पुत्र नबाब अली उम्र करीब 24 वर्ष को मय मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 राशि बकरा रंग काला आयु करीब 06 माह के साथ हिरासत में लिया गया अभियुक्त की जामातलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर की बरामदगी की गयी। अभियुक्त को थाना कुलपहाड़ अन्तर्गत कस्बा कुलपहाड़ के बाघ विराजन मन्दिर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की सम्पत्ति की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 249/2023 धारा 457/380 भादवि में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 250/2023 धारा 3/25 ARMS ACT का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. उ0नि0 प्रशिक्षु विकास तिवारी
3. का0 देवेन्द्र राजपूत

गिरफ्तार अभियुक्त-

अली हसन पुत्र नबाब अली (उम्र करीब 24 वर्ष) निवासी मोहल्ला हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

बरामदगी:-

1. मु0अ0सं0 249/2023 धारा 457/380 /411IPC से संबंधित 01 राशि बकरा रंग काला।
2. एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज



थाना चरखारी पुलिस टीम ने 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गणेश कुमार, थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 165/23 धारा 376D /504 IPC व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)ध, 3(2)(V) SC/ST ACT व 67A IT ACT से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. अली हसन उर्फ बाबू पुत्र मो0 समीम उम्र 21 वर्ष 2. आदित्य कुमार उर्फ प्रिंस तिवारी पुत्र जयनारायन तिवारी उम्र 19 वर्ष 3.सरीफ खां उर्फ कल्लू पुत्र स्व हबीब खां उम्र 44 वर्ष को थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत गुलमर्ग तिराहे के पास कस्बा चरखारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी
- 2.का0 जयदीप पटेल 3.का. रामसिंह 4.का. चंदन पांचाल

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अली हसन उर्फ बाबू पुत्र मो0 समीम उम्र 21 वर्ष नि0 मु0 सदर बाजार कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा
2. आदित्य कुमार उर्फ प्रिंस तिवारी पुत्र जयनारायन तिवारी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम अनघौरा थाना चरखारी जनपद महोबा हाल निवासी मु0 तुर्कियाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा
3. सरीफ खां उर्फ कल्लू पुत्र स्व हबीब खां उम्र 44 वर्ष निवासी मु0 भैरोगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.08.2023 को श्री गणेश कुमार, थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त कपिल रैकवार पुत्र लाल दिवान निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 20 वर्ष को नहर पुलिया खरेला रोड, कस्बा चरखारी के पास से हिरासत में लिया, अभियुक्त के कब्जे 01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 169/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी
2. का.जयदीप पटेल 3.का. राम सिंह थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

कपिल रैकवार पुत्र लाल दिवान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा।

बरामदगी

01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त जीतू पुत्र सन्तोष उम्र करीब 39 वर्ष सम्बन्धित माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा के द्वारा जारी भरण पोषण याचिका संख्या- 05/2017 धारा 128 सीआरपीसी में निर्गत वारण्ट के क्रम में अभियुक्त को मुहल्ला भटीपुरा महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

अभियुक्त जीतू पुत्र सन्तोष निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा उम्र करीब 39 वर्ष सम्बन्धित माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा के द्वारा जारी भरण पोषण याचिका संख्या- 05/2017 धारा 128 सीआरपीसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा
2. कां0 दीपेश कुमार यादव



थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्याएँ, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 26.08.2023 को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा थाना श्रीनगर में मौजूद रहकर थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई की गयी इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित प्राप्त हुयी जनशिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए ।

थाना समाधान दिवस में अधिकतम प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित रहे जिनके निस्तारण हेतु पुलिस/राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा गया, भूमि विवादों के निस्तारण में रुचि दिखा कर निस्तारण कराये जाने की समीक्षा के निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल से सम्बन्धित थाने पर एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाने में थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

थाना समाधान दिवस में कुल 43 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिनमें 34 राजस्व व 09 पुलिस विभाग से सम्बन्धित रही जिनमें 09 शिकायतों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित किया गया।



अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने की बड़ी कार्यवाही। 30 लीटर अवैध शराब, शराब बनाने की भट्टी व उपकरणों के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.08.2023 श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित की गयी कोतवाली नगर पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम ने अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र अन्तर्गत बिच्छूपहाडिया के पास अवैध शराब के निष्कर्षण की सूचना पर दबिश दी, इस दौरान अवैध शराब का निर्माण कर रहे 01 नफर अभियुक्त मंगल पुत्र रामलाल कबूतरा (उम्र करीब 37 वर्ष) को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की बड़ी टंकी में करीब 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज मय शराब बनाने के उपकरण जिसमें 01 अदद लोहा टंकी, 01 अदद मिट्टी की छोटी नांद, 01 अदद प्लास्टिक का पाईप, 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया, 01 अदद स्टील की कसहड़ी की बरामदगी की गयी, इस दौरान बरामद 800 लीटर (08-क्विंटल) मिश्रित लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0-395/2023 धारा 60(2)आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

जनपदीय पुलिस के इस संयुक्त छापामार कार्यवाही से आसपास क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस टीम की प्रशंसा की है।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराध विवरण:-

अभियुक्त मंगल पुत्र रामलाल कबूतरा उम्र करीब 37 वर्ष निवासी कबतूरा डेरा बिच्छूपहाडिया थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0-395/2023 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

बरामदगी:- 30 लीटर कच्ची शराब नाजायज मय शराब बनाने के उपकरण जिसमें 01 अदद लोहा टंकी, 01 अदद मिट्टी की छोटी नांद, 01 अदद प्लास्टिक का पाईप, 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया, 01 अदद स्टील की कसहड़ी तथा 800 लीटर (08-क्विंटल) मिश्रित लहन

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:-

- 1.थाना स्थानीय पुलिस टीम:- 1.उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्रा
2.हे0का0 सुरेश कुमार 3.म0का0 ऋचा वर्मा 4.म0का0 प्रिया सिंह
- 2.आबकारी टीम:- 1.आबकारी निरीक्षक श्रीमती कनीज फातिमा
2.प्रधान आबकारी सिपाही भुपेन्द्र कुमार सिंह 3.आबकारी सिपाही मुइनुद्दीन फारुकी
4.आबकारी सिपाही आशिक अली 5.आबकारी सिपाही अमित सिंह



जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की की गयी सघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम के नेतृत्व में आज दिनांक 26.08.2023 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई तथा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरूप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। संवेदनशील स्थानों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में वाहनों के ई-चालान किये गये।



महोबा पुलिस